

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

## आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरूस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की अनुसरण में ग्राम पंचायत रतनपुरा/नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 2 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 51/28, 53/9, 52/39 एवं चक 1 डीएलपी जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 59/75 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. स.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	नाथवाना/ रतनपुरा	चक 2 एमजेडी खाता संख्या 51/28 ज.स. 2071-2074	नरेन्द्रजीत पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना	नरेन्द्रजीत बराड़ पत्नी देवेन्द्र सिंह बराड़
2		चक 2 एमजेडी खाता संख्या 53/9 ज.स. 2071-2074	नवज्योत बराड़ पुत्र नरेन्द्रजीत पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना	नवज्योत बराड़ पुत्र देवेन्द्र सिंह बराड़
3		चक 2 एमजेडी खाता संख्या 52/39 ज.स. 2071-2074	नवज्योत पुत्र देवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना	नवज्योत बराड़ पुत्र देवेन्द्र सिंह बराड़
4		चक 1 डीएलपी खाता संख्या 59/75 ज.स. 2073-2076	नरेन्द्रजीत बराड़ पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना	नरेन्द्रजीत बराड़ पत्नी देवेन्द्र सिंह बराड़

नोट :-शेष प्रविष्टि/ प्रश्नगत भूमि पर बैंक रहन यथावत रहेगा।

27/2/23  
(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

क्रमांक :- सम/ 300-302

दिनांक :- 27-2-2023

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा संगरिया।
3. प्रार्थीगण नरेन्द्रजीत बराड़ पत्नी देवेन्द्र सिंह बराड़ व नवज्योत बराड़ पुत्र देवेन्द्र सिंह नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ बराड़ जरिये श्री देवेन्द्र सिंह बराड़ पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी
4. आदेश पत्रावली।

27/2  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया